

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- प्रशि/मस्वाका/प-28/पार्ट-11/2011/2209

दिनांक:- 29-11-11

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अजमेर/भीलवाडा/टोंक/नागौर
भरतपुर/करोली/सोभा0/धौलपुर
बीकानेर/गंगानगर/चूरू(मु0 रतनगढ)/हनुमानगढ।
जयपुर-प्रथम/सीकर/अलवर/झुंझुनू/दौसा।
जोधपुर/जालौर/पाली/सिरोही/बाडमेर/जैसलमेर।
कोटा/झालावाड/बारां/बून्दी।
उदयपुर/बांसवाडा/डूंगरपुर/चित्तोडगढ/राजसमंद।

विषय:-महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु दिनांक 26.12.11 को काउन्सलिंग की जाकर प्रवेश देने बाबत।

- उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2011 हेतु चयन के लिये 26.12.2011 को काउन्सलिंग की जानी है जिसके लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जावे :-
1. चयन विज्ञप्ति क्रमांक प्रशि/मस्वाका/2011/1144 दिनांक 02.06.2011 में उल्लेखित योग्यता एवं शर्तों के अनुरूप ही किया जावे। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(49) चिकि एवं स्वा /गुप-3/09 दिनांक 15.10.2009 (प्रति संलग्न) है के अनुसार एएनएम ट्रेनिंग सेन्टर पर सीटों की नवीनतम संख्या के अनुसार प्रवेश दिया जाना है।
 2. चयन पूर्णतया प्राप्तांकों के प्रतिशत की मेरिट के अनुसार ही किया जावे।
 3. आरक्षित अभ्यर्थियों को चयन में विज्ञप्ति में दर्शायी गई सीटों के अनुरूप ही अ0जा0/अनु0जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावे।
 4. समान प्रतिशत के अभ्यर्थियों की स्थिति में अधिक आयु वाली अभ्यर्थी चयन योग्य होगी।
 5. शैक्षणिक योग्यता बाबत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशिका तथा उसके द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मान्य शैक्षणिक संस्थान से सैकण्डरी परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी व गणित विषय सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जिसके लिये उनके द्वारा प्रकाशित विवरणिका को आधार माना जावे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के पत्रांक 2042 दिनांक 17.11.11 के अनुसार जामिया उर्दु अलीगढ की परिक्षाओं की मान्यता निरस्त करने का आदेश 05.07.2011 से प्रभावी है। अतः जामिया उर्दु अलीगढ से 05.07.2011 से पूर्व अदीब परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मेरिट में सम्मिलित किया जावे।
 6. प्राविजनल मेरिट के अनुसार जितने अभ्यर्थी चयन हेतु लिये जाने है उसके पाँच गुणा अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग हेतु बुलाया जावे। उनके कॉल लेटर पर यह अवश्य अंकित कर दे कि यह प्रवेश का पत्र नहीं है, निर्धारित सीटों की संख्या के पाँच गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अतः मेरिट के अनुसार ही उपलब्ध सीटों पर प्रवेश दिया जा सकेगा। कॉल लेटर अभ्यर्थियों को रजि0 डाक द्वारा भिजवाया जाकर दिनांक 26.12.2011 को प्रातः 10 बजे काउन्सलिंग हेतु बुलाया जावे।
 7. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु चयन राज्य सरकार /कार्मिक विभाग के दिशा निर्देशानुसार टीएसपी एरिया एवं सहरिया क्षेत्र से संबंधित जिलों में निम्नानुसार आरक्षण रहेगा:-

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल सीट	टीएसपी (एसटी)	टीएसपी (एससी)	टीएसपी क्षेत्र के सामान्य/ओबीसी/एसबीसी एवं अन्य क्षेत्र के सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग /एसटी/एससी संवर्ग के आरक्षण के श्रेणीवार निर्धारित सीटे	टिप्पणी
1	उदयपुर	120	30	04	86	
2	डूंगरपुर	90	40	05	45	
3	बांसवाडा	90	40	05	45	
4	चित्तोडगढ	90	8	2	80	
5	सिरोही	90	6	2	82	
6	बारां	90	*22	-	68	*केवल किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र के सहरिया अभ्यर्थियों के लिये

8. काउन्सलिंग करने हेतु निम्नलिखित कमेटी गठित की जाती है :-
 1. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
 2. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी
 3. संबंधित नर्सिंग अधीक्षक/प्रभारी म.स्वा.कार्य. प्रशिक्षण केन्द्र
 4. संबंधित जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य


इनमें से कोई उपलब्ध नहीं होने पर उप मु. चिकि. एवं स्वा. अधिकारी को शामिल किया जावे।

9. काउन्सलिंग के दौरान चयन अंतिम चयन होगा, चयनित अभ्यर्थियों को उसी दिन चयन आदेश दिये जावे एवं उसी दिन से प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावे। चयन हेतु बुलाये गये समस्त पाँच गुणा अभ्यर्थियों को सूची मय चयन आदेश व चयन समिति की रिपोर्ट के अगले दिन गोपनीय बन्द लिफाफे में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को विशेष पत्रवाहक के साथ आवश्यक रूप से भिजवावे, अन्यथा इसको गंभीर माना जावेगा।
10. काउन्सलिंग में बुलाये गये अभ्यर्थियों को जिनका चयन नहीं हुआ है, वे प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को रिक्त रहीं सीटों पर प्रवेश इस निदेशालय से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही देवे।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में चयनोपरान्त सूचना निम्न निर्धारित प्रपत्र में विशेष पत्रवाहक के साथ अगले कार्य दिवस को आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे :-

संवर्ग	सामान्य	ओबी सी	एस बीसी	अनु जाति	अनु जाति	टीएसपी (एसटी)	सहरिया	टीएसपी (एससी)	(द्वितीय आचार) होरिजेंटल बेसिस पर					
									आठवाँ कार्यकर्ता	मिलेट्री/परामिलेट्री/पुलिस मृतक कर्मियों की विधवाँ/	अन्य श्रेणी की विधवाँ एवं तलाकशुदा अभ्यर्थी	विकलांग श्रेणी ओएस (एक टांग)	विनागीव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला	
चयन का न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत														
चयनित अभ्यर्थियों की संख्या														
रिक्त सीटों की संख्या														
अन्य विवरण														

11. प्रशिक्षण में प्रवेशित अभ्यर्थियों से उनके मूल दस्तावेज ज्वाइनिंग के समय जमा कर लिये जावे तथा उनके मूल दस्तावेजों का संबंधित बोर्ड/संस्थान से सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें और इनका सत्यापन हो जाने के बाद सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाये जावे। यदि किसी अभ्यर्थी का कोई प्रमाण पत्र/अंक तालिका/अन्य दस्तावेज फर्जी पाया जावे तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जावे और प्रशिक्षण से पृथक करके निदेशालय को सूचित किया जावे।
12. काउन्सलिंग में अभ्यर्थी को अपने मूल प्रमाण पत्रादि शैक्षणिक, जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई बिन्दु स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो तत्संबंधी मार्गदर्शन इस निदेशालय से तुरन्त प्राप्त कर लेवे।
13. काउन्सलिंग हेतु आरक्षण की श्रेणी वार निर्धारित सीटों के पाँच गुणा अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के अनुसार बुलाया जाना है जिसके लिये उन्हें पत्र दिनांक 07.12.2011 तक आवश्यक रूप से जारी किये जावे तथा काउन्सलिंग में बुलाए गये अभ्यर्थियों की सूची आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड जिला कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, संबंधित संयुक्त निदेशक (जोन) तथा जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे। इसी के साथ बुलाये गये अभ्यर्थियों की आरक्षण की श्रेणीवार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत का प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जावे।
14. किसी भी तरह की अनियमितता के लिए संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
15. संबंधित जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर उनके प्रतिनिधि का आदेश करवाने का दायित्व संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा।


 अति० निदेशक(प्रशिक्षण)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य,
 राज० जयपुर

क्रमांक:- प्रशि/मस्वाका/प-28/पार्ट-11/2011/2209 दिनांक:- 29-11-11
 प्रतिलिपि निम्न जो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित कर लेख है कि अपना एक प्रतिनिधि उक्त काउन्सलिंग में भिजवाने का श्रम करे।
6. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी
7. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को प्रशिक्षण अनुभाग की एकल पत्रावली पर उनकी टिप्पणी क्रमांक 1650 दिनांक 25.11.11. के क्रम में।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान, नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
9. प्रभारी सर्वर कक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

अति० निदेशक(प्रशिक्षण)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य,
 राज० जयपुर

900 (438) 133
22/10/09

राजस्थान सरकार
शिक्षा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक: प. 5 (49)/शिक्षा. एवं स्वा./ग्रुप-3/09

जयपुर, दिनांक
15 OCT 2009

:-आदेश:-

Adm (A)

वर्तमान में राज्य में संचालित समस्त 32 ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल 1920 सीटों पर प्रशिक्षण हेतु क्षमता उपलब्ध है। भविष्य में ए.एन.एम. के पदों की अत्यधिक मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में संचालित सभी प्रशिक्षण केन्द्रों की सीटों में बढोतरी की जावे।

अतः संभागीय स्तर एवं जिला स्तर पर संचालित निम्नांकित प्रशिक्षण केन्द्रों में उनके नाम के सामने अंकित सीटों में ए.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु सीटों में बढोतरी की स्वीकृती वर्ष 2009-10 से तुरन्त प्रभाव से एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस व्यवस्था से ट्यूटर्स एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर्स पर होने वाला समस्त व्यय एन.आर.एच.एम के द्वारा वहन किया जावेगा:-

क्र. सं.	ए.एन.एम. प्रशिक्षण संस्थान का नाम	वर्तमान सीटों की संख्या	वृद्धिपरांत सीटों की संख्या
1	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, उम्मेद हॉस्पिटल, जोधपुर	60	120
2	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, ए.के. हॉस्पिटल, ब्यावर (अजमेर)	60	120
3	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, जनरल हॉस्पिटल, श्री गंगानगर	60	90
4	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, पी.एच.सी. बालोतरा, बाडमेर	60	90
5	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, जनरल हॉस्पिटल, नागौर	60	90
6	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, जनरल हॉस्पिटल, सिरोही	60	90
7	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, सादत हॉस्पिटल धौलपुर	60	90
8	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, जनरल हॉस्पिटल, करौली	60	90
9	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, एस. के. हॉस्पिटल, सीकर	60	90
10	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, सवाईमाधोपुर	60	90
11	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, अलवर	60	90
12	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, टोंक	60	90
13	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, बारा	60	90
14	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, झालावाड	60	90
15	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, पी.एच.सी. तालेडा, बूंदी	60	90
16	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, पी.एच.सी. कुम्भलगुप्त, रतपुर	60	90
17	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, दोसा	60	120
18	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, झुझुनु	60	90
19	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, धुरू	60	90
20	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, बीकानेर	60	90
21	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, हनुमानगढ	60	120
22	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, पी.एच.सी. आहोर, जालौर	60	90

23	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, एम.जी. हॉस्पिटल, बांसवाडा	60	90
24	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, राजसमन्द	60	90
25	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, तल्लुम्बर, उदयपुर	60	120
26	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, जनाना हॉस्पिटल, कोटा	60	120
27	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, एम.जी. हॉस्पिटल, भीलवाडा	60	90
28	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, पी.एच.सी. अमरसर, जयपुर	60	120
29	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, वित्तोडगढ	60	90
30	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, जैसलमेर	60	90
31	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, डूंगरपुर	60	90
32	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, पाली	60	90

आज्ञा से
उप-शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल, जयपुर।
7. समस्त प्राचार्य, ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रायली।

उप-शासन सचिव